शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 50 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 50 अंक – 46 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 10 – 17 नवम्बर 2025 मूल्य पांच रूपये

खनन कारोबारी कांग्रेस नेता ज्ञान चन्द की जमानत से ई.डी. पर उठे सवाल

शिमला/शैल। नादौन के खनन कारोबारी और कांग्रेस नेता ज्ञान चन्द को ई.डी. द्वारा दर्ज किये गये मनी लॉन्ड्रिंग में सी.बी.आई. के स्पेशल जज की गाजियाबाद स्थित अदालत से 6 – 7 – 2025 को जमानत मिल गयी है। इस जमानत से ई.डी. की कार्य प्रणाली सवालों के घेरे में आ गयी है। क्योंकि विशेष जज ई.डी. की कार्य प्रणाली के जांच अधिकारी और इस मामले के शिकायतकर्ता के खिलाफ आवश्यक कारवाई करने के निर्देश सी.बी.आई. निदेशक को दिये हैं। सम्रणीय है कि ई.डी.ने 2 – 7 – 2024 को धन संशोधन की विभिन्न धाराओं में यह मामला दर्ज किया था और 18 – 11 – 2024 को इसमें ज्ञान चन्द की गिरफ्तारी हो गयी थी। उस दौरान इस संद्धर्भ में नादौन, हमीरपुर में छापेमारी हुई थी। इस छापेमारी के बाद चार लोगों के खिलाफ मामला बनाये जाने की चर्चाएं सामने आयी थी। लेकिन गिरफ्तारी केवल दो लोगों ज्ञान चन्द और संजय धीमान की हुई थी। लेकिन जमानत केवल ज्ञानचंद को ही मिली है। शायद संजय की जमानत याचिका अभी तक आयी ही नहीं है।

ज्ञान चन्द के खिलाफ यह मामला कुछ शिकायतों और गुप्तचर सूचनाओं के आधार पर दायर किया गया था। इन सूचनाओं और शिकायतों का आधार इन लोगों के खिलाफ कांगड़ा और ऊना में 2018 से लेकर 2024 तक दर्ज किये गये सात मामलों को बनाया गया था। जबकि यह सारे मामले ई.डी. द्वारा 2 – 7 – 2024 को दर्ज किये गये मनी लांडरिंग के मामले से पहले ही अदालतों द्वारा निपटा दिये गये थे। सारे मामलों में क्लोजर रिपोर्ट अदालत में दायर और स्वीकार हो चुकी थी। जिसका अर्थ है कि ई.डी. द्वारा मामला दर्ज करने के समय ज्ञानचंद के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला कहीं पर भी लंबित नहीं था। जबकि ई.डी. द्वारा मामला दर्ज करने के लिये यह अनिवार्य है कि कथित अभियुक्त के खिलाफ कहीं पर कोई मामला चल रहा होना चाहिये। सी.बी.आई. के विशेष जज ने इस वस्तुस्थिति का कड़ा संज्ञान लेते हुये ई.डी. के जांच अधिकारी और शिकायतकर्ता के खिलाफ कारवाई किये जाने की संस्तुति की है।

इस मामले में जब छापेमारी हुई थी तब यह मामला बहुत चर्चित हुआ था। विपक्ष ने इस मामले में मुख्यमंत्री को यह कह कर घेरने का प्रयास किया था कि ज्ञान चन्द उनका एक खास समर्थक है। मुख्यमंत्री ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि ज्ञान चन्द विधानसभा में मेरा समर्थक

शेष पृष्ठ 8 पर.....

यह है दर्ज मामलों की सूची और अदालत का जमानत आदेश

In The Court of Special Judge, Special Court Anti-Corruption CBI,
Court No-2, Ghaziabad.
Bail Application No- 2312/2025
UPGZ010073292025

Gian Chand S/o Late Chunni Lal Proprietor of Jai Maa Jawala Stone Crusher and Partner in Garhwal Stone Crusher
R/o- VPO Bharmoti, Tehsil Nadaun, Hamirpur, Himachal Pradesh-177033
Vs
Directorate of Enforcement

Special Case No- 01/2025
ECIR No- ECIR/HQ/01/2024 dated 02.07.2024
Section- 3/4 the Prevention of Money Laundering Act.

Dated-03-07-2025

The present regular bail application has been filed by Applicant/Accused Gian Chand to seek bail in Special Case No- 01/2025 Directorate of Enforcement Vs. Gian Chand & others, arising out of ECIR No- ECIR/HQ/01/2024 dated 02.07.2024 under Section- 3/4 the Prevention of Money Laundering Act. (in short PMLA)

According to brief facts of bail application, applicant/accused is victim of grave prosecution and harassment with melafide and vexatious considerations. His arrest is in voilation of fundamental rights under Article 21 & 22 of constitution. So, he is entitled to be released on bail without even adverting to the twin limitations contained under Section 45(1) the Prevention of Money Laundering Act. In the para -2 of the bail application facts relating to this case are given in the tabular form in chronological order alongwith annextures A- 1 to A -65, as mentioned in para -2 itself. There is no need to rewrite these facts here, they will be discussed at the relevant stage in this order. According to bail application applicant/accused is a senior citizen of age about 62 years and in judicial custody since 18.11.2024. There is no possibility of commencement of trial in near future. All the scheduled offences, which are the basis of the ECIR, are closed/cancelled and cancellation reports have been accepted by the concerned court, which in turn shows that the ECIR has no existence.According to the ECIR, enquiry/investigation against the applicant/accused commenced on the basis of the formal complaints and intelligence inputs, which is not permissible under the Prevention of Money Laundering Act,without their being corresponding connected scheduled/predicate offence. Applicant is a man of clean and clear antecedents. The arrest of applicant/accused was in voilation of basic principles given under Section 19 of the Prevention of Money Laundering Act. No compliance of such provision has been made by the investigating authority before the arrest. In this respect, learned counsel for defence has

After hearing the arguments of Ld. Defence Counsel and Ld. Counsel for ED on 11.06.2025 & 25.06.2025 and after perusal of all the records available on the file of Bail application and corresponding complaint file, the finding of this Court is as follows-

It is evident from the present ECIR No- ECIR/HQ/01/2024 dated 02.07.2024 that it was registered in respect to proceed of crime of the 06 matters of which FIR was registered in district Una & Kangra of Himachal Pradesh. According to the report dated 19.06.2025 of ED in the trial file paper no- 145 kha. of which original is present in the file of this bail application, the status of all the seven predicate cases of complaint under PMLA is as follows-

S. No.	Predicate Offence FIR No.	Police Station	Current Status
1	114/2019	Damtaal, Kangra (HP)	Closure report submitted & accepted by the Ld. Court on 16.11.2021
2	05/2018	Haroli, Una (HP)	Closure report submitted & accepted by the Ld. Court on 25.06.2019
3	12/2018	Una Sadar, Una (HP)	Closure report submitted & accepted by the Ld. Court on 17.01.2020
4	229/2018	Una Sadar, Una (HP)	Closure report submitted in the Court on 09.08.2018
5	120/2023	Gagret, Una (HP)	Closure report submitted in the Court on 30.11.2024
6	07/2023	Una Sadar, Una (HP)	Closure report submitted in the Court on 12.11.2024
7	360/2024 (added in the ECIR subsequently on 07/11/2024 by way of addendum)	Behat, Saharanpur, (UP)	Charge sheet filed

In respect to the above mentioned cases, the applicant/accused has filed certified copy of order dated 22.06.2019 of Ld. CJM Una by which the closure report in the FIR No- 229/2018 PS Una Sadar was accepted.

The above facts show that out of six predicate cases, as were initially in the ECIR, in 4 Cases the Closure report was filed by the IO and even it was accepted by the Ld. Concerned Court even before filing of the present ECIR which means that these four cases cannot become the predicate case for offence under PMLA. In respect to the rest two predicate cases, as shown initially in the ECIR, the closure report was filed in the Ld Concerned Court on 12.11.2024 & 30.11.2024, i.e., before filing of this complaint on 10.01.2025 before this Court, so these two cases cannot be the basis of the Complaint of ED because filing of the closure report by the IO before the Ld Concerned Court amounts to the end of this case against the accused until the closure report was rejected by the Ld concerned Court and cognizance has been taken against the accused.

Thus, the above facts shows that proper investigation was not done by the IO of ED in respect to present complaint under PMLA. Even the filing of the ECIR was defective because 4 cases, which are shown as the Predicate Offence , already came to an end against the applicant/accused before registration of ECIR, so these cases cannot be the part of the ECIR. It shows mechanical and unprofessional approach of the ED, while the ED is completely dedicated department for the exclusive purpose of investigation in the money laundering cases. Thus the matter is to be reported to the Director, ED for necessary action against the concerned authorities of the ED.

As from the above discussion, it is clear that in all the predicate cases of the ECIR, which were registered in the state of Himachal Pradesh, were closed by the Police/IO by way of the closure report. So, it can be said that no procced of crime was generated from the predicate cases as were registered in the State of Himachal Pradesh. As alledged against the applicant/accused in the present complaint that by the proceeds of crime as generated by the applicant/accused in Himachal Pradesh, amount of Rs. 1.80 crores (out of which Rs. 1.60 crores was generated from Jai Maa Jawala stone crusher by its operation in Himachal Pradesh)(para e(i) of the complaint) was used in cash in purchase of Garhwal Stone Crusher at Saharanpur (UP). This version of the present complaint is not admissible at this stage because the ED cannot prima

Thus, considering above facts and discussion in the light of above mentioned law propounded by the Hon'ble Supreme Court and on the ground of illness & age of applicant/accused, role of applicant/accused in FIR No- 360/2024 PS Behat, Saharanpur , which is the only chargesheeted predicate case and the period of detention, it is the fit case to release applicant/accused on bail.

ORDER

Applicant/ accused Gian Chand be released on bail in Special Case No- 01/2025, ECIR No- ECIR/HQ/01/2024 dated 02.07.2024 under Section- 3/4 the Prevention of Money Laundering Acton furnishing a personal bond of Rs 5,00,000/- and two sureties, who shall be his close relative and family member, of same amount on following conditions :-

(1) He shall deposit his passport in the Court and shall not visit out of India without permission of the Court.
(2) He shall not indulge in any type of criminal activity.
(3) He shall not temper the evidence related with the case
(4) He shall not try to contact, induce, threat etc. to the witnesses of the case.
(5) He shall cooperate in the trial and shall not seek unnecessary adjournment during trial.
(6) In case of change in his address, he shall immediately inform the court with his new address on affidavit.
(7) He shall also provide his mobile no. which is attached to his aadhar card and in case of change he shall immediately inform the court with his new mobile no., attached with aadhar card, on affidavit.

A copy of order be sent to the Director, ED for taking necessary action against the I.O./concerned authority for the errors done by him during investigation & also against complainant for filing complain without verifying the facts related with the case.

(Arvind Misra)
Special Judge, Special Court Anti-Corruption CBI,
Court No-2, Ghaziabad.

राज्यपाल ने अंतरराष्ट्रीय लवी मेले का शुभारम्भ किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने रामपुर बुशहर में चार दिवसीय अंतरराष्ट्रीय लवी मेले का विधिवत शुभारम्भ किया। इस अवसर

पर उन्होंने कहा कि लवी मेला हिमाचल प्रदेश की गौरवशाली सांस्कृतिक परंपराओं, व्यापारिक संबंधों और सामूहिक भावना का प्रतीक है। राज्यपाल ने पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह के योगदान को भावपूर्ण ढंग से याद करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में ही इस ऐतिहासिक मेले को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त हुआ।

राज्यपाल ने कहा कि लवी मेला न केवल व्यापार का बड़ा केंद्र है, बल्कि यह पीढ़ियों से चली आ रही अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत और सामुदायिक एकजुटता को भी जीवंत रखता है। उन्होंने विभिन्न जिलों के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन पारंपरिक कला, संगीत और शिल्प को बढ़ावा देते हैं तथा समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य करते हैं।

अपने संबोधन में राज्यपाल ने प्रदेश में बढ़ रहे नशीले पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्तत की। उन्होंने कहा कि अवैध नशे के व्यापार को जड़ से मिटाने के लिए पुलिस के प्रयासों के साथ-साथ सामुदायिक सहभागिता बेहद आवश्यक है। उन्होंने युवाओं को नशे से बचाने के लिए परिवारों, समाज और प्रशासन को मिलकर मजबूत पहल करने का आग्रह किया।

राज्यपाल ने पर्यावरण संरक्षण को हिमाचल की सुरक्षा और समृद्धि से सीधे जोड़ते हुए लोगों से पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने की अपील की। उन्होंने हाल ही में दिल्ली में हुए विस्फोट पर दुख व्यक्त किया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

उन्होंने जिला प्रशासन और आयोजन समिति द्वारा मेले की पारंपरिक भावना को बनाए रखने और नए आकर्षण जोड़ने के प्रयासों की प्रशंसा की। स्थानीय शिल्प, ऊनी उत्पादों और सूखे मेवों की प्रदर्शनी को राज्यपाल ने कारीगरों और किसानों के लिए महत्वपूर्ण विपणन मंच बताया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों की प्रदर्शनियों का भी शुभारम्भ किया और उनकी योजनाओं एवं पहलों में विशेष रुचि दिखाई।

हिमाचल प्रदेश राज्य स्तरीय समन्वय समिति की 20वीं बैठक आयोजित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य स्तरीय समन्वय समिति की 20वीं बैठक मुख्य सचिव संजय गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक

में अवैध जमा स्वीकार करने वाली संस्थाओं की गतिविधियों, साइबर धोखाधड़ी, तथा राज्य के सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति पर विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक के दौरान विभिन्न विभागों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में हाल ही में किए गए प्रयासों, सुधारात्मक कदमों और उपलब्धियों की जानकारी साझा की।

मुख्य सचिव ने वित्तीय अनुशासन, जनसुरक्षा और अवैध जमा गतिविधियों की रोकथाम को लेकर विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

राज्य स्तरीय समन्वय समिति भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, आईआरडीए, एनएचबी, पीएफआरडीए, कंपनी रजिस्ट्रार सहित राज्य सरकार के गृह, वित्त और विधि विभागों तथा आर्थिक अपराध शाखा जैसे प्रवर्तन तंत्र के बीच समन्वय का प्रमुख मंच है। समिति का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में अवैध और अनियमित वित्तीय संस्थाओं द्वारा जनता से जमा स्वीकार किए जाने की गतिविधियों की निगरानी और रोकथाम सुनिश्चित करना है।

बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रीय निदेशक अनुपम किशोर, प्रधान सचिव (वित्त) देवेश कुमार, आरबीआई के वरिष्ठ अधिकारी, सेबी, नाबार्ड, कंपनी रजिस्ट्रार, आईसीएआई, ट्राई, एनएचबी और पीएफआरडीए के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

नीति निर्माण के लिए सटीक डेटा आवश्यक:डॉ. अभिषेक जैन

शिमला/शैल। राज्य की सांख्यिकीय गतिविधियों में समन्वय, पारदर्शिता और दक्षता को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से केलांग में अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता सचिव वित्त,

अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी तथा योजना डॉ. अभिषेक जैन ने की।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. जैन ने कहा कि सटीक एवं समेकित डेटा नीति निर्माण की रीढ़ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी सरकारी योजना या कार्यक्रम की सफलता उसके डेटा की विश्वसनीयता, समयबद्धता और पारदर्शिता पर निर्भर करती है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सांख्यिकीय आंकड़े लाहौल-स्पीति की सामाजिक-आर्थिक स्थिति तथा विकास संकेतकों की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं।

डॉ.जैन ने विभिन्न विभागों से अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित आंकड़ों का गहन विश्लेषण करने का आग्रह किया ताकि विकास के रुझानों को बेहतर तरीके से समझकर योजनाओं और क्रियान्वयन स्तर पर आवश्यक सुधार किए जा सकें। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुधारों और नीति निर्धारण में डेटा का वैज्ञानिक उपयोग अत्यंत आवश्यक है, जिससे विकास लक्ष्यों की प्राप्ति को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

सचिव ने लाहौल-स्पीति जिले को पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, पर्यावरण संरक्षण तथा अपराध मुक्त जिला होने के लिए बधाई दी। साथ ही उन्होंने ई-ऑफिस प्रक्रिया और आधार नवीनीकरण प्रणाली में और सुधार करने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने कहा कि सभी विभाग प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान दें तथा इसके लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। डॉ. जैन ने स्थानीय उत्पादों, कृषि, बागवानी और हस्तशिल्प से जुड़े रुझानों को समझने और सुधारने की दिशा में ठोस प्रयास करने पर जोर दिया।

उन्होंने सुझाव दिया कि प्रवासन, कृषि उत्पादन, बागवानी एवं स्थानीय हस्तशिल्प पर छोटे शोध समूह बनाए जाएं, ताकि डेटा आधारित शोध से स्थानीय उत्पादों के विपणन और ब्रांडिंग को बढ़ावा दिया जा सके।

डॉ. जैन ने कहा कि कार्यशालाएं केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं होतीं, बल्कि वे सीखने, विचार-विनिमय और नीतिगत दिशा तय करने का महत्वपूर्ण माध्यम भी होती हैं।

इस अवसर पर उपायुक्त लाहौल-स्पीति किरण भड़ाना ने कहा कि डेटा आधारित निर्णय प्रणाली प्रशासनिक उत्तरदायित्व को मजबूत करती है और इस प्रकार की कार्यशालाएं स्थानीय स्तर पर डेटा गुणवत्ता को सुदृढ़ बनाती हैं। आर्थिक सलाहकार डॉ. विनोद राणा ने भी डेटा की पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता को सुशासन का मूल आधार बताया।

कार्यशाला के तकनीकी सत्र में विभिन्न विभागों द्वारा डेटा आवश्यकताओं पर प्रस्तुतियां दी गई। सत्र के उपरांत प्रतिभागियों के लिए एक रोचक क्विज का आयोजन किया गया, जिसने प्रतिस्पर्धात्मक भावना और ज्ञानवृद्धि को प्रोत्साहित किया।

कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, सांख्यिकी विशेषज्ञों एवं प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया।

ग्राम पंचायतों, शहरी निकायों की मतदाता सूचियां वैबसाइट और ऐप पर उपलब्ध

शिमला/शैल। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि आयोग द्वारा 1 अक्तूबर 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश की 3577 ग्राम पंचायतों में से 3548 ग्राम पंचायतों तथा 70 शहरी निकायों की मतदाता सूचियों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। शेष 29 ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची 1 दिसंबर 2025 तक तैयार कर ली जाएगी। प्रवक्ता के अनुसार तैयार सूचियों में प्रदेश के कुल 55,19,709 मतदाता पंजीकृत हुए हैं, जिनमें 27,26,548 महिलाएं और 27,93,161 पुरुष शामिल हैं।

मतदाता सूचियां आयोग की वेबसाइट sechimachal.nic.in और वोटर सारथी मोबाइल ऐप पर उपलब्ध करवा दी गई हैं। मतदाता इन माध्यमों से अपनी प्रविष्टि की जांच कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों ने 1 अक्तूबर 2025 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वे मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के पात्र हैं। यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम अंतिम सूची में शामिल नहीं है, तो वह संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी/उपायुक्त कार्यालय में निर्धारित प्रारूप की दोहरी प्रति के साथ 2 रुपये शुल्क जमा कर निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने तक आवेदन कर सकता है।

इसी प्रकार, यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम नगर पंचायत, नगर परिषद या नगर निगम की मतदाता सूची में नहीं है, तो वह संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी/ उप- मंडलाधिकारी (SDM) के कार्यालय में निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने तक निर्धारित प्रारूप की दोहरी प्रति के साथ 50 रुपये शुल्क देकर आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट-2025 संपन्न

शिमला/शैल। तीन दिवसीय चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट-2025 का समापन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में किया गया।

समारोह में स्वास्थ्य मंत्री ने बच्चों की प्रतिभा, जोश और आत्मविश्वास की सराहना करते हुए कहा कि यह आयोजन बच्चों के सपनों, साहस और सकारात्मक सोच का उत्सव रहा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चा, उसकी पृष्ठभूमि चाहे कोई भी हो, समान अवसर और सम्मान का अधिकारी है।

मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार बच्चों के संरक्षण, शिक्षा, प्रशिक्षण और सर्वांगीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। राज्य के सभी चाइल्ड केयर संस्थानों में सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के पर्याप्त अवसर सुनिश्चित किए जा रहे हैं, ताकि बच्चे आत्मनिर्भर और सक्षम बन सकें।

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित वातावरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक सुविधाएं तथा खेल-संस्कृति में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकें। इसी दिशा में सरकार लगातार ठोस प्रयास कर रही है।

समारोह में उप-महापौर उमा कौशल, महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक डॉ. पंकज ललित, बाल कल्याण समिति के सदस्य, विभाग के अधिकारी-कर्मचारी तथा अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

आयुष विभाग 12 आयुर्वेदिक अस्पतालों में शुरू करेगा पंचकर्मा तकनीशियन पाठयक्रम

सीटें 36 से बढ़कर 252 होंगी, युवाओं के लिए खुलेगा रोजगार का नया क्षेत्र

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में प्रशिक्षण अवसरों का विस्तार करने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में आयुष विभाग अगले शैक्षणिक सत्र से राज्य के 12 आयुर्वेदिक अस्पतालों में एक वर्षीय पंचकर्मा तकनीशियन पाठयक्रम शुरू करेगा। कुल 252 सीटों के साथ यह अब तक का सबसे बड़ा विस्तार होगा, जबकि वर्तमान में प्रदेश में मात्र 36 सीटें उपलब्ध हैं।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देशों के बाद इस पाठयक्रम की क्षमता में भारी वृद्धि की जा रही है, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान में पपरोला स्थित राजीव गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल तथा छोटा शिमला के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अस्पताल में 18-18 सीटें उपलब्ध हैं। नई योजना के तहत पपरोला में सीटें 36 और छोटा शिमला में 24 कर दी जाएंगी।

इसके साथ ही आगामी शैक्षणिक सत्र से 12 नए संस्थानों में भी यह पाठयक्रम प्रारंभ होगा, जिनमें बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन, ऊना, नाहन स्थित जिला आयुर्वेदिक अस्पताल तथा नालागढ़, देहरा और रामपुर के आयुर्वेदिक अस्पताल शामिल हैं। प्रत्येक संस्थान में 16 सीटें होंगी। सरकार का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश की समृद्ध पंचकर्म परंपरा और प्राकृतिक जड़ी-बूटियों के लिए प्रसिद्धता को आधार बनाकर राज्य को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पर्यटन का आकर्षक केंद्र बनाना है। मुख्यमंत्री ने विभाग को प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने और स्वास्थ्य पर्यटन के अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने के निर्देश दिए हैं।

सेना सीमावर्ती क्षेत्रों में विंड टरबाइन परियोजनाएं स्थापित करेगी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर हिमाचल प्रदेश में

सेना द्वारा क्रियान्वित विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की ओर से सेना को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

बैठक में यह जानकारी दी गई कि भारतीय सेना सीमावर्ती क्षेत्रों में 20 स्थानों पर विंड टरबाइन परियोजनाएं स्थापित करने की योजना पर कार्य कर रही है। इन परियोजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। अनुमान है कि इन टरबाइनों से 68,000 से 80,000 किलोवाट घंटे वार्षिक ऊर्जा उत्पन्न होगी, जो 120 से 160 घरों की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होगी।

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार और सेना द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई सीमा पर्यटन पहल पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2024 में जहां लगभग 21,000 पर्यटक पहुंचे थे, वहीं वर्ष 2025 में यह संख्या बढ़कर 70,000 से अधिक हो गई, जो साढ़े तीन गुना वृद्धि को दर्शाती है।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं, ताकि उनका अनुभव और अधिक समृद्ध हो सके। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने शिपकी-ला के माध्यम से व्यापार पुन: प्रारंभ करने के संबंध में केंद्र सरकार को पत्र भेजा है और इस दिशा में सकारात्मक संकेत प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत और चीन दोनों ने लिपुलेख, शिपकी-ला और नाथू-ला दर्रों के माध्यम से सीमा व्यापार को पुन: खोलने पर सहमति व्यक्त की है।

मुख्यमंत्री ने रंगरिक में प्रस्तावित हवाई अड्डे की प्रगति की भी समीक्षा की और सेना के अधिकारियों से परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह हवाई अड्डा क्षेत्र में पर्यटन, संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा।

बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता, मुख्य सचिव संजय गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने रामपुर में 53.96 करोड़ रुपये के लोकार्पण और शिलान्यास किए

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिला शिमला के रामपुर बुशहर क्षेत्र में 53.96 करोड़

रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, सड़क, भवन निर्माण तथा शहरी अवसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। लोकार्पित परियोजनाओं में धरगौरा में 3.27 करोड़ की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन, 1.78 करोड़ की पेयजल योजनाओं का सुदृढ़ीकरण, 74.38 लाख की सिंचाई योजना और 89 लाख का लोक निर्माण कार्यालय एवं आवास शामिल हैं।

शिलान्यास की गई प्रमुख परियोजनाओं में 25.76 करोड़ की ज्यूरी-सरांहन सड़क, 2.77 करोड़ की आईटीबीपी कॉलोनी नोगली पेयजल योजना, 4.57 करोड़ की मुनिश-बाहली-दरकाली पेयजल योजनाएं, 1.19 करोड़ की सिंचाई योजना, 3 करोड़ की नई सीवरेज प्रणाली और 9.96 करोड़ की ननखड़ी में बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व बस अड्डा शामिल हैं।

सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर 11 दिसंबर को मंडी में राज्य स्तरीय समारोह

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार अपने कार्यकाल के तीन वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 11 दिसम्बर को मंडी ज़िले में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित

करेगी। कार्यक्रम स्थल के चयन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, जिसमें राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और धर्मपुर विधायक चंद्रशेखर शामिल हैं।

मुख्यमंत्रे ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने समारोह की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित विभागों को सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में 'व्यवस्था परिवर्तन' की अवधारणा के तहत पिछले तीन वर्षों में हासिल हुई उपलब्धियों और सुधारों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न विभागों की उपलब्धियों पर आधारित एक कॉफ़ी टेबल बुक का भी विमोचन किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह को समन्वयक नियुक्त किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार लाये हैं, जिनसे जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि राजस्व सृजन में निरंतर वृद्धि राज्य की सुदृढ़ होती अर्थव्यवस्था का संकेत है।

उन्होंने यह भी बताया कि सरकारी योजनाओं के लाभार्थी और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित किये जाएंगे और उन्हें सम्मानित किया जाएगा। साथ ही सभी विभागों को विकास कार्यों को तेज़ी से आगे बढ़ाने और राज्य की प्राथमिकताओं को ज़मीनी स्तर तक लागू करने के लिए दो वर्षीय रोडमैप तैयार करने को कहा गया है।

मुख्यमंत्री ने सेवाओं को लोगों के घर-द्वार तक पहुंचाने, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और सभी विभागों में सुशासन को और मजबूत करने पर विशेष बल दिया।

बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्य सचिव संजय गुप्ता, विभागाध्यक्ष, वरिष्ठ अधिकारी तथा सभी उपायुक्त वर्चुअल माध्यम से मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने पीजी कर रहे आयुष डॉक्टरों को पूर्ण वेतन देने के निर्देश दिए

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आयुष विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान विभाग के अंतर्गत स्नातकोत्तर (पीजी) कर रहे

डॉक्टरों को अब पूरा वेतन (100 प्रतिशत) प्रदान करने के आदेश दिए। इससे पहले केवल 40 प्रतिशत वेतन देने का प्रावधान था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को स्वास्थ्य पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है, जिसमें आयुष विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने यह भी बताया कि हिमाचल की जलवायु और प्राकृतिक परिवेश स्वास्थ्य पर्यटन के लिए उत्कृष्ट वातावरण प्रदान करते हैं। उन्होंने विभाग को निर्देश दिया कि वे उन आयुष स्वास्थ्य संस्थानों का अध्ययन करें जहां ओपीडी में अधिक रोगी आते हैं, ताकि उन्हें आवश्यक स्टाफ और उन्नत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बेहतर सेवाओं के लिए रोगियों से संबंधित जानकारी को 'हिम परिवार' पोर्टल के साथ जोड़ा जाएगा।

उन्होंने बताया कि सरकार नाहन में एक नया आयुष महाविद्यालय खोलने पर विचार कर रही है, जबकि पपरोला स्थित आयुर्वेदिक महाविद्यालय को और मजबूत किया जाएगा। रिक्त पदों को जल्द भरने के भी निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री ने स्पीति घाटी जैसे ऊंचे और ठंडे क्षेत्रों में हर्बल उद्यान विकसित करने पर जोर दिया, जिससे वहां की दुर्लभ जैव-विविधता का संरक्षण और उपयोग हो सके। साथ ही, राज्य के बालिका आश्रमों और वृद्धाश्रमों में योग कक्षाओं की शुरुआत करने के निर्देश भी दिए, ताकि सभी को समग्र स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके।

मंडी में बनेगा 57 मौसम-रोधी आश्रय स्थलों का नेटवर्क, एक्सिस बैंक देगा सीएसआर सहयोग

शिमला/शैल। आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को मजबूती देने के लिए एक्सिस बैंक मंडी जिले में 57

मौसम-रोधी आश्रय स्थल बनाएगा। बैंक के उत्तरी क्षेत्र प्रमुख अभिषेक पाराशर और राज्य प्रमुख वरुण शर्मा ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से ओक ओवर में मुलाकात कर परियोजना की औपचारिक जानकारी दी।

मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि ये आश्रय स्थल विशेष रूप से सिराज विधानसभा क्षेत्र में स्थापित किये जाएंगे और इनमें तापरोधी इन्सुलेशन, पीसीसी फर्श, रसोई स्लैब, तथा आवश्यक विद्युत फिटिंग की व्यवस्था होगी, जिससे विस्थापित परिवारों को सुरक्षित और गरिमापूर्ण आवास उपलब्ध हो सकेगा।

सीएसआर पहल के तहत बैंक 15 सामुदायिक शौचालय इकाइयां भी स्थापित करेगा, जिनमें प्रत्येक इकाई तीन से छह परिवारों को सुविधा प्रदान करेगी। शौचालयों में पानी की टंकियां, स्टेनलेस स्टील सिंक और सीपीवीसी पाइपिंग लगाई जाएगी ताकि स्वच्छता मानकों को बेहतर बनाया जा सके।

एक्सिस बैंक ने कहा कि परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वह लॉजिस्टिक्स, प्रशासनिक सहयोग, लाभार्थियों की पहचान, पर्यवेक्षण और मूल्यांकन में भी सक्रिय भूमिका निभाएगा। पहल के दौरान वृद्धजनों, बच्चों, दिव्यांगजनों और अन्य कमजोर समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

बैंक अधिकारियों ने बताया कि आश्रय स्थल न केवल टिकाऊ बनाए जाएंगे, बल्कि इन्हें भविष्य की आपात स्थितियों में भी उपयोगी रखने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है, ताकि क्षेत्र की आपदा तैयारी क्षमता को मजबूत किया जा सके।

राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने बसंतपुर वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया

शिमला/शैल। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष डॉ. एस.पी. कत्याल ने शिमला जिले के बसंतपुर स्थित वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों से बातचीत कर भोजन की गुणवत्ता, रहन-सहन तथा उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली।

निरीक्षण के दौरान डॉ. कत्याल ने भंडारित राशन का जायजा लिया और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे वृद्धजनों की उचित देखभाल सुनिश्चित करें तथा उपलब्ध खाद्य सामग्री का समय पर उपयोग करें। उन्होंने पेयजल की उपलब्धता और उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के लिए भी कहा। साथ ही आश्रम में कार्यरत चिकित्सक को निवासियों के स्वास्थ्य एवं कल्याण पर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

वृद्धाश्रम के निवासियों ने भोजन और रहने की व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया।

इसके बाद डॉ. कत्याल ने बसंतपुर, बगौण, धरस्थाई और घरयाणा के आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया तथा सुन्नी स्थित सीडीपीओ कार्यालय का दौरा किया। उन्होंने सुन्नी तहसील सरकारी समिति द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकान का भी निरीक्षण किया।

इस दौरान उन्होंने विक्रेता को दुकान पर सूचना पट्ट लगाने और एक कम्प्लेंट-कम लॉग बुक बनाए रखने के निर्देश दिए, ताकि शिकायतों का विधिवत अभिलेख रखा जा सके तथा सक्षम अधिकारी समय पर समीक्षा कर समाधान सुनिश्चित कर सकें।

आप कभी नहीं जान सकते कि आपके कार्यो का क्या परिणाम आएगा, लेकिन यदि आप कुछ नहीं करेंगे, तो कोई परिणाम नहीं आएगा .....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

बिहार परिणामों से निकलता सन्देश

बिहार चुनावों पर सारे देश की निगाहें लगी हुई थी क्योंकि इस चुनाव से पहले चुनाव आयोग को लेकर कुछ राष्ट्रीय प्रश्न देश के सामने उछल चुके थे। चुनाव के दौरान भी और अब इस चुनाव के परिणाम आने के बाद वह राष्ट्रीय प्रश्न और भी गंभीर हो गये हैं। यह चुनाव परिणाम पूरी तरह एक तरफा है। विपक्ष को ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन परिणाम पर जो प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दी है उसमें उन्होंने कांग्रेस का नया नामकरण किया है ''मुस्लिम लीग माओवादी'' कांग्रेस। प्रधानमंत्री की इस प्रतिक्रिया से स्पष्ट हो जाता है कि वह अभी भी कांग्रेस से कहीं न कहीं डरते हैं। संभव है कि इस डर के प्रतिफल के रूप में कांग्रेस के अन्दर एक विभाजन हो जाये। कांग्रेस की कुछ सरकारें इस संभावित विभाजन की भेंट चढ़ जायें। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को इसी तरह का चुनावी परिणाम गैर भाजपाई राज्यों में आगे होने वाले चुनावों में प्रदर्शित करना होगा। चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्तों को आजीवन कानूनी संरक्षण प्राप्त है। उनके खिलाफ कहीं भी कोई भी मुकद्दमा नहीं चलाया जा सकता है। इसलिये चुनाव आयोग को भी सत्ता के इशारे पर नाचने की विवशता आ खड़ी होगी। क्योंकि बिहार में हुये एस आई आर का मामला अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। बिहार में पैंसठ लाख नाम मतदाता सूचियों से काट दिये गये। बाईस लाख वोटर जोड़ दिये गये। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मतदान होने के बाद जो सूची आयोग ने जारी की उसमें तीन लाख वोटर और सूचियों में जोड़ दिये गये। यह सामने आ गया है कि एक सौ अठ्ठाईस सीटों पर जहां एनडीए के उम्मीदवार विजयी हुये हैं वहां जीत का अंतर मतदाता सूची से हटाये गये मतदाताओं की संख्या से बहुत ही कम है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि यदि यह नाम सूची से न हटाए गये होते तो इन सीटों पर एनडीए का जीतना संभव नहीं था।

यह सवाल आने वाले दिनों में उठेंगे यह तय है। लेकिन इनका कोई भी जवाब आयोग की ओर से पहले की तरह नहीं आयेगा यह भी तय है। सर्वोच्च न्यायालय भी पहले की तरह तारीखें देने से ज्यादा कुछ नहीं करेगा और चुनाव आयोग तो कानूनन कहीं जवाब देह है ही नहीं। आयोग की जगह सरकार और हिन्दू राष्ट्र के पक्षधर जवाब देंगे। ऐसी स्थिति में देश का युवा और आम आदमी क्या करेगा? क्योंकि हिन्दू राष्ट्र के पक्षधरों को तो हिन्दू राष्ट्र के आगे सरकार पर उठने वाला हर सवाल राष्ट्र विरोधी नजर आयेगा। इसमें यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि विपक्ष अपनी इस हार पर किस तरह की प्रतिक्रिया देता है और जनता के बीच क्या लेकर जाता है। इन परिणामों के बाद क्या सरकार महंगाई पर नियंत्रण पायेगी? क्या बेरोजगारी का सवाल हल हो पायेगा? शायद यह सारे सवाल हिन्दू राष्ट्र की परिकल्पना में दफन हो जायेंगे।

आज इन चुनाव परिणामों के बाद विपक्ष के हर दल को अपने अन्दर झांकने की आवश्यकता है क्योंकि हर दल में भाजपा संघ के स्लीपर सैल मौजूद हैं। कांग्रेस में तो राहुल गांधी ने इन स्लीपर सैलों को चेतावनी भी दी थी लेकिन व्यवहारिक तौर पर कोई कारवाई नहीं हुई। कांग्रेस को अब अपनी विचारधारा को लेकर अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक करना होगा। क्योंकि इस समय कांग्रेस नीत सरकारों में भी ठेकेदारी की मानसिकता प्रबल हो गयी है। कांग्रेस की सरकारें भी अनचाहे ही संघ भाजपा के एजैन्डे पर ही काम कर रही है। इन सरकारों को अपने चुनावी घोषणा पत्र राज्य की आर्थिक स्थितियों के आधार पर लाने होंगे। अन्यथा यह घोषणा पत्र ही इन सरकारों और पार्टी को डुबोने में काफी होंगे। अब कांग्रेस को निष्पक्षता के साथ आत्म मंथन करने की अति आवश्यकता है।

मुठ्ठी भर दहशतगर्द इस्लाम का चेहरा नहीं हो सकते, मुहम्मद के उम्मत में आतंक का कोई स्थान नहीं

गौतम चौधरी

अभी हालिया दिल्ली स्थित लाल किले के पास हुये बम धमाके पर कई कोणों से विचार करना आवश्यक है। सच पूछिए तो इस तरह के आतंकी हमले सामूहिक-विमर्श को अपने वैध बिंदुओं से हटाकर फिर उसी क्षेत्र में ले जाते हैं, जो साम्प्रदायिक ताक़तों का प्रिय विषय है। यानी भारत के मुसलमानों के लिए दिल्ली का आतंकी हमला मायूसी भरा है। इसके लिए भारतीय मुसलमान के दिल से दहशतगर्दो के लिये बददुआ के सिवा और कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि ना केवल उन्होंने बेगुनाहों की जान ली-जिसकी इस्लाम में सख्त मनाही है (पवित्र ग्रंथ की आयत है, 'जो एक जान लेता है वो पूरी इंसानियत का क़त्ल करता है, जो एक जान बचाता है, वो पूरी इंसानियत को बचा लेता है')-बल्कि उन दहशतगर्दो ने, इस्लाम के खिलाफ प्रचार करने वाले एक खास समूह के राजनैतिक नैरेटिव को भी उस दिशा में मोड़ देने का प्रयास किया, जहां प्रबुद्धजन उसे नहीं ले जाना चाहते। यहां यह भी बता देना ठीक रहेगा कि इन दिनों भारत में कुछ ऐसे कट्टरपंथी समूह भी तैयार हो गए हैं, जो धर्म के चश्में से आतंकवाद का मूल्यांकन करते हैं। आप देखें, इस आतंकी हमले के बाद ग़रीबी, बेरोज़गारी, युवाओं की चिंताओं, बिहार की बदहाली पर एकाग्र हुआ लोक-विमर्श एक झटके में इस्लामिक आतंकवाद पर केन्द्रित हो गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर विचार किया जाना चाहिए।

उदास कर देने वाली बात है कि पढ़े-लिखे मुसलमान भी दहशतगर्दी में लिप्त पाये जा रहे हैं। यह सम्प्रदायवादियों को अपने दुष्प्रचार को मज़बूत बनाने की सुविधा दे रहा है। दहशतगर्दो को इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए कि इस तरह के आतंकी हमलों से कुछ हासिल नहीं किया जा सकता-ना तो वे भारत-राष्ट्र को हरा सकते हैं, ना ही 'काफिरों' का ख़ात्मा कर सकते हैं-उलट अपनी ही क़ौम का बहुत बड़ा नुक़सान ज़रूर कर रहे हैं। यानी इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन आज की तारीख़ में मुर्तद, या मुनाफिक, या मुशरिक़, या काफिर नहीं, बल्कि ये दशहतगर्द हैं, जो क़ुरान व हदीसों की सीख के विपरीत उक्त शिक्षाओं की व्याख्या कर अपना ही नुकसान कर रहे हैं।

इस्लाम के पवित्र ग्रंथ की व्याख्या की जाये तो उसमें साफ तौर पर कहा गया है, ''संसार की व्यवस्था, उसकी अनंतता, मानवीय स्वभाव की फुसफुसाहटें, घटनाओं और दुर्घटनाओं के नदविसक होने का तर्क, भविष्य के छिपे रहस्य, मनुष्य को प्रदत्त खिलाफ़त (प्रतिनिधित्व) का दर्जा, पुरस्कार और दंड के मापदंड, स्वर्ग और नरक की सच्चाई और यहां तक कि परलोक में मुक्ति, इन सबमें ऐसा कोई भी अंश नहीं है जहां अल्लाह का नूर (प्रकाश) कार्यरत न हो।'' इसलिए कहा गया है, ''अल्लाहु अकबर'' यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। जहां तक हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के दर्जे का प्रश्न है, कोई भी कलम इसका पूरा हक़ अदा नहीं कर सकती। फिर भी यह एक विनम्र प्रयास है, उन्हें 'इमामुल अंबिया' (सभी पैग़म्बरों के नेता), 'रहमतुल लिल आलमीन' (संसार के लिए रहमत) और 'शफ़ी-उल-उम्मह' (कियामत के दिन सिफ़ारिश करने वाले) जैसे दिव्य उपाधियों से सम्मानित किया गया है। उन पर स्वयं अल्लाह और उसके फ़रिश्ते सलाम भेजते हैं। इतना ही नहीं, क़ुरान ने भी सीधे तौर पर मुस्लिम उम्मत को आदेश दिया है, ''वे उन पर सलाम भेजें, बिना सच्चे प्रेम और पूर्ण आज्ञाकारिता के, अल्लाह की खुशी और मुक्ति संभव नहीं'' यही उनका दर्जा है।

यह दुनिया कर्मभूमि है और परीक्षा का स्थान है। मनुष्य को स्वायत्त बनाया गया है। उसे पृथ्वी पर प्रभुत्व, अधिकार और स्वतंत्रता दी गई है लेकिन यह स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि सृष्टिकर्ता, मालिक और सर्वोच्च सत्ता का स्रोत केवल पालनहार प्रभु ही है। इनाम या सज़ा, इज़्ज़त या रुसवाई, तरक्की या पतन, अस्तित्व या विनाश, स्वास्थ्य या बीमारी, ताक़त या कमज़ोरी, हर स्थिति उसी की मर्ज़ी पर निर्भर है। बात और कर्म, भाषण और लेखन, निर्माण और योजना, व्याख्या और प्रचार, यह सब परमपिता के कार्यक्षेत्र में आता है। लेकिन यह मान लेना कि ''मैं दूसरों को अपने जैसा बना सकता हूं'', यह कैसे संभव है? यह अधिकार किसी मानव को कैसे दिया जा सकता है? दिल्ली जैसी आतंकी घटना के लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं, वे किसी कीमत पर इस्लाम के मानने वाले और मुहम्मद के उम्मत के नहीं हो सकते।

अल्लाह सारे जहानों का रब है, वह केवल मुसलमानों का नहीं। यह उद्घोषणा दिन में पांच बार की जाने वाली नमाज़ों में दोहराई जाती है। उसकी हिकमत और नीति अच्छाई और बुराई-दोनों के अस्तित्व को समेटे हुए है। फिर यह उग्रवाद, अंधभक्ति और कट्टरता एक वर्ग के स्वभाव में कहां से आ गई? अल्लाह ताला खुद अपने रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से फ़रमाता है, 'तुम्हारा काम केवल संदेश देना और दावत देना है।' जो इसे स्वीकार करे, वह उसका नसीब है और जो इंकार करे, वह उसका अमल है-इसके बाद मामला हमारे (अल्लाह के) हवाले है। यह भी स्पष्ट किया गया कि 'मैंने हिदायत और नूर के साधन प्रदान किए हैं जो तुम्हारे दिल की सफ़ाई और रूह की शुद्धि का साधन हैं।' यही तुम्हें अल्लाह की पहचान तक ले जाएगा। मुसलमान तो उस उम्मत के सदस्य हैं, जिसके नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के कारण यह सृष्टि अस्तित्व में आई। मुसलमानों के पास मार्गदर्शन के लिए बेहतरीन मिसाल (उस्वा-ए-हसना) मौजूद है। मुसलमानों के पास शिक्षा और अनुसंधान के लिए क़ुरान के रूप में ब्रह्मांड का ज्ञान मौजूद है। यह सर्वविदित है कि इस्लाम का अर्थ ही मध्यमता (संयम) है। इस्लाम में उग्रवाद, अति उत्साह, या ऐसा कोई आंदोलन या प्रचार जिसके नाम पर हिंसा और मानव हत्या को जायज़ ठहराया जाए, उसका कोई स्थान नहीं है। नबी ने फरमाया, 'मुस्लिम उम्मत एक मध्यम समुदाय है।' मुसलमान सरात-ए-मुस्तक़ीम (सीधे रास्ते) के अनुयायी हैं। सब्र (धैर्य), अमल (संपूर्ण कर्म) और माफ़ी-ये मुसलमानों के अनमोल गुण हैं, जो एक मुसलमान को सच्चा मोमिन बनाता है।

इस्लाम के खिलाफ प्रचार करने वाले लगातार यह कहते हैं, 'मुसलमान सब ग़लत हैं, नैतिक पतन केवल मुसलमानों में है और हिंसा, आक्रामकता एवं कट्टरता ही मुसलमानों की पहचान है, बाकी सब निर्दोष हैं।' इसमें रत्ती भर भी सत्यता नहीं है। यह केवल दुष्प्रचार की राजनीति है। न्याय और नैतिकता का एक विनम्र विद्यार्थी कहेगा कि मुसलमान वह बंदा है जो अमन (शांति), इस्लाह (सुधार), अमन (सुरक्षा) और रहमत (दयालुता) का प्रतीक है। भटके हुए लोग किसी भी समाज में होते हैं। किसी भी समाज में असामाजिक तत्व पनप सकते हैं। इस्लाम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कुछ भटके हुए लोग इस्लाम की पहचान बनना चाहते हैं लेकिन अब प्रबुद्ध इस्लामिक चिंतकों ने मोर्चा संभाल लिया है। वह दिन दूर नहीं जब इस्लाम के बारे में दुनिया सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएगी और दहशतगर्द पराभूत होंगे। दिल्ली की आतंकी घटना के बाद कुछ ऐसा ही देखने को मिला। अधिकतर मुसलमानों ने इस घटना की भ्रत्सना की। यह बेहतर और सकारात्मक संकेत है।

जाइका वानिकी परियोजना से महिलाओं को मिला सशक्तिकरण

हिमाचल के ऊंचे पर्वतों, शांत वनों और छोटे-छोटे गांवों में एक नई कहानी जन्म ले रही है। एक ऐसी कहानी, जिसमें परंपरा और आजीविका साथ-साथ चलती हैं। यह कहानी है 'जाइका वानिकी परियोजना' की, जिसने न केवल ग्रामीण जीवन में नई ऊर्जा भरी है, बल्कि पहाड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भरता की राह पर मजबूती से खड़ा किया है। अंतरराष्ट्रीय रामपुर लवी मेले में इस परियोजना की झलक और भी सशक्त रूप में दिखाई दी, जहां 'हिम ट्रेडिशन' ब्रांड के उत्पाद लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहे।

मेला, जो सदियों से सांस्कृतिक और व्यापारिक गतिविधियों का जीवंत केंद्र रहा है, इस वर्ष कुछ अलग ही रंगों से भरा दिखाई दिया। 14 स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी सिर्फ वस्तुओं का बाजार नहीं थी, बल्कि पर्वतीय जीवनशैली, मेहनत और विरासत का एक जीवंत संग्रहालय थी। यहां चुल्ली के तेल की खुशबू में स्थानीय खेतों की महक थी, जबकि राजमा और कोदे के आटे में पहाड़ की ठंडक और पवित्रता का एहसास।

यह उत्पाद केवल सामान नहीं, बल्कि उन महिलाओं की मेहनत, आत्मविश्वास और संघर्ष की कहानी भी साथ लेकर आते हैं, जो वर्षों से परिवार और समाज के बीच अपनी जगह तलाश रही थीं।

मेला मैदान में लोगों की भीड़ देखकर साफ था कि 'हिम ट्रेडिशन' ने उपभोक्ताओं का विश्वास जीत लिया है। जैविक उत्पादन, स्थानीय सामग्री और पारंपरिक तरीके ये तीन बातें आज के समझदार उपभोक्ता की पहली पसंद बन चुकी हैं। यही कारण है कि बड़े ब्रांडों के चमकदार पैकेजों के बीच भी 'जाइका परियोजना' के साधारण, लेकिन भरोसेमंद उत्पादों ने अपनी पहचान बनाए रखी।

विशेष बात यह रही कि अधिकांश उत्पाद बाजार की तुलना में किफायती दामों पर उपलब्ध थे। इससे उपभोक्ताओं का रुझान और बढ़ा, और स्वयं सहायता समूहों का आत्मविश्वास भी।

जाइका परियोजना ने पहाड़ी महिलाओं के जीवन में जो बदलाव लाया है, वह किसी क्रांति से कम नहीं। घर के कामों के बीच सीमित संसाधनों पर निर्भर ये महिलाएं अब अपने उत्पादों को प्रदेश के बड़े आयोजनों तक ले जाने में सक्षम हुई हैं। उनका कहना है कि इस परियोजना ने उन्हें न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत किया है, बल्कि निर्णय लेने और सामाजिक रूप से आगे बढ़ने की स्वतंत्रता भी दी है।

हथकरघा और बुनाई की कला, जो कभी घरों तक सिमट कर रह गई थी, आज 'हिम ट्रेडिशन' के माध्यम से व्यापक पहचान पा रही है। किन्नौरी डिजाइन वाली शालें, टोपियां और ऊनी वस्त्र लोगों में अत्यधिक लोकप्रिय हो रहे हैं।

मेले के उद्घाटन और समापन दोनों अवसरों पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू और लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह द्वारा स्टॉल का निरीक्षण स्वयं सहायता समूहों के लिए प्रेरणा से भरा पल था। उन्होंने उत्पादों की गुणवत्ता और परियोजना के सकारात्मक प्रभाव की प्रशंसा करते हुए इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली एक महत्वपूर्ण पहल बताया।

जाइका वानिकी परियोजना केवल आजीविका का माध्यम नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी का एक सशक्त मॉडल भी है। यह परियोजना वनों, जल संरक्षण, जैव विविधता और स्थानीय कृषि पद्धतियों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है, जो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अत्यंत आवश्यक है।

लवी मेले में मिली अभूतपूर्व सफलता ने साफ संकेत दिया है कि यदि अवसर मिले, तो स्थानीय समुदाय न सिर्फ उत्पादन कर सकते हैं, बल्कि बाजार में मजबूती से अपनी जगह बना सकते हैं। 'हिम ट्रेडिशन' केवल एक ब्रांड नहीं, बल्कि ग्रामीण हिमाचल की आत्मा, श्रम और संस्कृति का प्रतीक बनता जा रहा है।

जाइका वानिकी परियोजना ने यह साबित कर दिया है कि सतत विकास तभी संभव है, जब विकास की बुनियाद स्थानीय लोगों के हाथों में हो और पहाड़ों की यह कहानी देशभर के लिए एक प्रेरणा बन सकती है।

भारत में आपदा प्रबंधन और पूर्व चेतावनी प्रणालियों में प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) का उपयोग

राजन कुमार शर्मा

भारत एक ऐसा देश है जहां हर साल विभिन्न प्रकार की आपदाएं (भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सूखा, भूस्खलन, आदि) आती हैं। पारंपरिक आपदा प्रबंधन प्रणाली 'प्रतिक्रियाशील' थी - अर्थात घटना के बाद राहत प्रदान करना। अब, भारत एक 'सक्रिय, पूर्वानुमानित और प्रौद्योगिकी-संचालित' मॉडल की ओर बढ़ रहा है। एआई और एमएल इन दोनों दृष्टिकोणों को बदल रहे हैं। भारत भौगोलिक रूप से विविध है और अक्सर बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूखा, भूस्खलन और जंगल की आग जैसी विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है। ये आपदाएं हर साल हजारों लोगों की जान लेती हैं और अरबों रुपये का आर्थिक नुकसान पहुंचाती हैं। पारंपरिक आपदा प्रबंधन प्रणाली मुख्य रूप से प्रतिक्रियात्मक रही है - अर्थात आपदा के बाद राहत और पुनर्वास पर केंद्रित। वर्तमान में, जलवायु परिवर्तन और तेजी से शहरीकरण के कारण आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता दोनों में वृद्धि हुई है। इस संदर्भ में, प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग आपदा प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला साबित हो रहा है। इन तकनीकों ने अब न केवल आपदाओं की पूर्व चेतावनी देना संभव बना दिया है, बल्कि अधिक प्रभावी जोखिम मूल्यांकन, राहत कार्यों का समन्वय और वास्तविक समय पर निर्णय लेने में भी मदद की है। भारत सरकार, एनडीएमए (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण), इसरो, आईएमडी और विभिन्न आईआईटी मिलकर एआई-संचालित पूर्वानुमान मॉडल पर काम कर रहे हैं जो भविष्य की आपदाओं का पूर्वानुमान लगा सकते हैं और समय रहते जान-माल की हानि और आर्थिक क्षति को कम कर सकते हैं। इस प्रकार, प्रौद्योगिकी-आधारित आपदा प्रबंधन प्रणालियां भारत को 'राहत से लचीलेपन की ओर' की ओर ले जा रही हैं। जहां उद्देश्य केवल राहत प्रदान करना नहीं है, बल्कि समाज को आपदा-रोधी और सशक्त बनाना है। आपदा पूर्व चेतावनी, जोखिम मूल्यांकन, राहत और पुनर्वास सहायता, नीति नियोजन में इनका उपयोग तेज़ी से बढ़ रहा है।

आपदा प्रबंधन में एआई/एमएल का उपयोग कैसे किया जाता है: **पूर्व चेतावनी प्रणालियां:** एमएल मॉडल बाढ़, चक्रवात या सूखे की भविष्यवाणी करने के लिए उपग्रह डेटा, मौसम डेटा, नदी के स्तर और वर्षा पैटर्न का विश्लेषण करते हैं। उपग्रह और सुदूर संवेदन: इसरो के कार्टोसैट और रीसैट उपग्रहों से प्राप्त तस्वीरों का विश्लेषण एआई का उपयोग करके संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किया जाता है। **वास्तविक समय की निगरानी:** IoT सेंसर, ड्रोन और यूएवी के डेटा का उपयोग एमएल मॉडल के माध्यम से संभावित खतरों के बारे में वास्तविक समय में अलर्ट उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। राहत प्रतिक्रिया: एआई-संचालित ड्रोन, रोबोट और जीआईएस-आधारित ट्रैकिंग सिस्टम राहत वितरण और खोज-और-बचाव कार्यों में सहायता करते हैं। **जोखिम मानचित्रण:** संवेदनशील क्षेत्रों के भेद्यता मानचित्र बनाने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाता है। संचार और जागरूकता: चैटबॉट, एआई-सक्षम हेल्पलाइन और बहुभाषी चेतावनी संदेश लोगों तक जल्दी पहुंचते हैं। **प्रमुख भारतीय पहल:** आईएमडी- भारतीय मौसम विभाग:नाउकास्टिंग प्रणाली जैसे एआई-आधारित मॉडल के माध्यम से भारी वर्षा और बिजली की चेतावनी प्रदान करता है एनडीएमए -राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण: 'कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (सीएपी)' के तहत एक बहु-खतरा प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली लागू कर रहा है। आईएनसीओआईएस (हैदराबाद): सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र में डीप लर्निंग-आधारित समुद्र स्तर डेटा विश्लेषण के माध्यम से प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करता है। मेघदत्त और दामिनी ऐप्स:आईएमडी और आईआईटीएम द्वारा विकसित मोबाइल ऐप जो मौसम और बिजली की चेतावनी प्रदान करते हैं। **प्रमुख केस स्टडीज:** चक्रवात यास और अम्फान (2020-21): एआई-आधारित सिमुलेशन ने चक्रवात के मार्ग और तीव्रता का अनुमान लगाया। तटीय क्षेत्रों में 90% सटीकता के साथ प्रारंभिक अलर्ट भेजे गए। केरल बाढ़ (2018 और 2022): इसरो और गूगल एआई ने उपग्रह चित्रों का उपयोग करके बाढ़-जोखिम वाले क्षेत्रों का वास्तविक समय मानचित्रण प्रदान करने के लिए सहयोग किया। लाभ: पूर्व चेतावनी की सटीकता में वृद्धि, मानवीय और आर्थिक नुकसान में कमी, डेटा-संचालित शासन, त्वरित राहत वितरण और समन्वय, और वास्तविक समय निर्णय सहायता प्रणाली। चुनौतियां: डेटा की कमी या डेटा साझा करने में बाधाएं, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का अभाव, स्थानीय स्तर पर तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव, लागत और बुनियादी ढांचे की सीमाएं, गोपनीयता और साइबर सुरक्षा के मुद्दे, 'अंतिम-मील कनेक्टिविटी' - अर्थात, ग्रामीण या पहाड़ी क्षेत्रों में चेतावनियां प्रेषित करना कठिन है।

आगे की राह: राष्ट्रीय स्तर पर एक एआई-एकीकृत आपदा प्रबंधन ढांचा विकसित करना, एनडीएमए और इसरो के डेटा को खुली पहुंच प्रदान करना, समुदाय-आधारित एआई प्रणालियां विकसित करना जो बेहतर पूर्वानुमानों के लिए स्थानीय इनपुट का लाभ उठाएं, भारतीय भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप एआई मॉडल प्रशिक्षित करना, और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से प्रौद्योगिकी निवेश बढ़ाना।

निष्कर्ष: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ने आपदा प्रबंधन में क्रांति ला दी है। ये तकनीकें अब केवल आपदा के बाद राहत प्रदान करने तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि संभावित आपदाओं का सटीक पूर्वानुमान लगाने, जोखिमों का आकलन करने और समय पर चेतावनी देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। भारत अब पारंपरिक 'राहत- केंद्रित' दृष्टिकोण से आगे बढ़कर 'लचीलापन-निर्माण' मॉडल की ओर बढ़ रहा है: जिसका उद्देश्य केवल नुकसान को कम करना नहीं, बल्कि समुदायों को आपदाओं के प्रति अधिक लचीला बनाना है। इस परिवर्तन की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि तकनीक, शासन और समाज किस हद तक एक साथ काम करते हैं। यदि इन तीनों के बीच समन्वय और सहयोग मजबूत होता है, तो भारत न केवल आपदा प्रबंधन में आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर लचीलेपन और तैयारी के एक आदर्श के रूप में भी उभरेगा।

प्राकृतिक खेती से आत्मनिर्भर हिमाचल की नई इबारत लिख रहे प्रदेश के किसान

* प्रदेश सरकार के प्रोत्साहन से बढ़ी किसानों की आय और मनोबल
* बल्ह टिक्कर के लेख राम की आय में बढ़ोतरी, मक्की बेचकर कमाए 48 हजार रुपए

आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में कदम बढ़ा रही सुक्खू सरकार की कृषि हितैषी नीतियां अब रंग लाने लगी हैं। प्राकृतिक खेती के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होने से किसानों की आय बढ़ी है, वहीं लोगों को गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न भी उपलब्ध हो रहा है। प्रदेश सरकार ने इस वर्ष मक्की का समर्थन मूल्य 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति किलो घोषित किया है, जिससे किसान काफी उत्साहित हैं।

ऐसे ही एक किसान हैं द्रंग विकास खंड की ग्राम पंचायत बल्ह टिक्कर के गांव तरेला (चौहार घाटी) निवासी लेख राम। वे पिछले तीन-चार वर्षों से प्राकृतिक खेती विधि अपना रहे हैं। लेख राम बताते हैं कि पिछले वर्ष उन्होंने कृषि विभाग को 5 क्विंटल गेहूं 60 रुपए प्रति किलो की दर से बेची। इस वर्ष उन्होंने प्राकृतिक खेती से पैदा 12 क्विंटल मक्की दी, जिसे विभाग ने 40 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा। इससे उन्हें कुल 48 हजार रुपए की आय हुई।

रासायनिक खादों के प्रयोग के समय उनकी 10 बीघा भूमि से केवल 20-22 क्विंटल मक्की होती थी, लेकिन अब प्राकृतिक खेती से इसकी गुणवत्ता भी बेहतर हुई है और बाज़ार में अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है।

उन्होंने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू का धन्यवाद करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में सराहनीय कदम उठा रही है। विभाग द्वारा भी समय-समय पर प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया जाता है, जिससे खेती की गुणवत्ता और उपज में निरंतर सुधार हो रहा है।

कृषि विभाग के परियोजना उपनिदेशक हितेंद्र सिंह रावत ने बताया कि 14 नवम्बर, 2025 से जिला में मण्डी तथा सुंदरनगर संग्रह केंद्रों पर मक्की की खरीद आरंभ कर दी गई है। सुंदरनगर केंद्र में सुंदरनगर, धनोटू, बल्ह, धर्मपुर, निहरी और गोपालपुर विकास खंडों के 48 किसानों से अभी तक लगभग 142.25 क्विंटल मक्की खरीदी गई। वहीं मंडी केंद्र में सदर और द्रंग विकास खंडों के 16 किसानों से करीब 18.80 क्विंटल मक्की की खरीद हुई।

प्रदेश सरकार द्वारा मक्की के समर्थन मूल्य में 10 रुपए तथा गंदम के मूल्य में 20 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी से किसान चहक रहे हैं। सुंदरनगर संग्रह केंद्र में प्राकृतिक खेती से उगाई गई मक्की बेचने पहुंचे गांव बाग़लू तहसील बल्ह के शिव सिंह ने सात क्विंटल मक्की विभाग को बेची। उन्होंने कहा कि मूल्य में बढ़ोतरी तथा प्रति क्विंटल 200 रुपए ढुलाई भाड़ा सरकार की ओर से दिया जा रहा है। इससे किसानों की आय और उनका मनोबल दोनों ही बढ़े हैं। उपतहसील निहरी के गांव धनयारा निवासी हुक्म चंद ने 2.50 क्विंटल तथा उप तहसील रिवालसर के गांव सुक्का रियुर के चंचल शर्मा ने 5 क्विंटल मक्की की बिक्री की। समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के लिए प्रदेश सरकार व विशेष तौर पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार की नीतियों से किसानों को बहुत फायदा मिल रहा है।

कृषि विभाग के अनुसार, जिला मंडी में वर्ष 2024-25 भी प्राकृतिक खेती के लिए बेहद उत्साहजनक रहा। इस दौरान बड़ी संख्या में किसानों ने प्रा तिक खेती से तैयार अपनी उपज विभाग को बेची। 13 नवंबर, 2025 से पहले 328 किसानों से प्राकृतिक खेती से तैयार 651.33 क्विंटल मक्की, 15 किसानों से 2.982 मीट्रिक टन कच्ची हल्दी तथा 152 किसानों से 290.67 क्विंटल गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर की गई।

मुख्यमंत्री ने शिमला में लिफ्ट के समीप 'हिमाचल हाट' की आधारशिला रखी, स्वयं सहायता समूहों को मिलेगा स्थायी बाजार

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला में लिफ्ट के समीप प्रस्तावित 'हिमाचल हाट' का शिलान्यास किया। लगभग दो करोड़ रुपये

की लागत से विकसित होने वाला यह आधुनिक हाट प्रमाणिक हिमाचली उत्पादों को एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाने के साथ-साथ 'हिम ईरा' ब्रांड के तहत ग्रामीण उद्यमियों-विशेषकर महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs)को एक मजबूत विपणन मंच प्रदान करेगा।

हिमाचल हाट को 24-25 दुकानों की आधुनिक तन्य संरचना के रूप में विकसित किया जाएगा और इसे प्रदेश के सभी 12 जिलों के SHGs को आवंटित किया जाएगा। यहां ग्रामीण कला, हथकरघा-हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों और पारंपरिक व्यंजनों को प्रदर्शित किया जाएगा। इससे SHG महिलाओं को स्थायी आजीविका अवसर और उनके उत्पादों को व्यापक बाजार मिलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि हिम ईरा ब्रांड के तहत SHGs को पहले ही लगभग 25 लाख रुपये की आय हो चुकी है, जो आने वाले समय में और बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा SHGs को उपलब्ध करवाई गई फूड वैन से महिलाओं को लगभग 50,000 रुपये मासिक आय प्राप्त हो रही है, और जल्द ही 60 अतिरिक्त फूड वैन प्रदान करने की योजना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिमला शहर में नागरिक सुविधाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। शहर में विद्युत लाइनों को भूमिगत करने के लिए 145 करोड़ रुपये की लागत से यूटिलिटी डक्ट का निर्माण किया जा रहा है, वहीं चौबीसों घंटे पानी और बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास तेज़ गति से जारी हैं। सर्कुलर रोड को डबल-लेन करने का कार्य भी प्रगति पर है, जिससे शहर में यातायात दबाव कम होगा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर हिमाचल के निर्माण के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जिनके परिणाम जल्द जनता के सामने आएंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि 'हिमाचल हाट' ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि यह परियोजना लगभग 4,000 वर्ग फुट क्षेत्र में बनाई जाएगी और इसे आठ महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। उन्होंने परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए महापौर सुरेंद्र चौहान और नगर निगम शिमला का आभार जताया।

कार्यक्रम में विधायक हरीश जनारथा और सुरेश कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, महापौर सुरेंद्र चौहान, उप-महापौर उमा कौशल, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरेंद्र कंवर सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य उपस्थित रहे।

सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना और एच पी यू के बीच एमओयू

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला और भारतीय सेना के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते पर भारतीय सेना की ओर से ब्रिगेडियर अनुराग पांडे और विश्वविद्यालय की ओर से कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने हस्ताक्षर किए।

मुख्यमंत्री ने इस समझौते को सेना और विश्वविद्यालय के बीच एक नई और सशक्त साझेदारी की शुरुआत बताते हुए कहा कि इससे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। समझौते के अंतर्गत भारत-तिब्बत संबंधों पर ऐतिहासिक शोध, हिमाचल के सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक एवं विकास संबंधी अध्ययन, ड्रोन तकनीक और ड्रोन-रोधी उपायों पर शोध, साइबर सुरक्षा की उन्नत पद्धतियों का विकास तथा हरित ऊर्जा और पर्यावरणीय संरक्षण से जुड़ी पहलें शामिल हैं।

एमओयू के माध्यम से दोनों संस्थान संकाय एवं कर्मचारियों के आदान-प्रदान, संयुक्त कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन पर भी सहयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त, यह समझौता भारतीय सेना के कर्मियों को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश का अवसर भी उपलब्ध कराएगा।

कार्यक्रम में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, मुख्य सचिव संजय गुप्ता, लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता, लेफ्टिनेंट जनरल डीजी मिश्रा और शिक्षा सचिव राकेश कंवर भी उपस्थित रहे।

हिमाचल प्रदेश को बी.आर.ए.पी. – 2024 में 'टॉप अचीवर' का दर्जा

शिमला/शैल। औद्योगिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए हिमाचल

प्रदेश को भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी बिज़नेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (BRAP)-2024 में 'टॉप अचीवर राज्य' घोषित किया गया है।

यह सम्मान राज्य को कंस्ट्रक्शन परमिट एनब्लर्स, स्वास्थ्य सेवाओं और सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट सुधारात्मक प्रयासों के लिए दिया गया है। हिमाचल ने 100 में से 98 प्रतिशत अंक हासिल कर शानदार उपलब्धि दर्ज की।

यह पुरस्कार केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा उद्योग समागम-2025 में प्रदान किया गया, जिसे राज्य की ओर से प्रधान आवासीय आयुक्त अजय यादव और जिला उद्योग केंद्र सिरमौर के महाप्रबंधक रचित शर्मा ने प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इस उपलब्धि के लिए उद्योग विभाग की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को सुगम, पारदर्शी और त्वरित सेवाएं प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत है। पिछले तीन वर्षों में कई निवेशक-हितैषी सुधार लागू किए गए हैं, जिनका उद्देश्य एक कुशल और अनुकूल कारोबारी वातावरण तैयार करना है।

उन्होंने कहा कि निवेश से संबंधित स्वीकृतियां समयबद्ध जारी की जा रही हैं और मौजूदा सिंगल विंडो प्रणाली को उन्नत प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है, जिससे प्रक्रियाएं और अधिक तकनीक-सक्षम, पारदर्शी तथा तेज हुई हैं। यह परिवर्तन राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस को और मजबूत बनाता है।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि यह उपलब्धि राज्य की सुधार-उन्मुख शासन व्यवस्था और उद्योग-हितैषी दृष्टिकोण का परिणाम है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) आर.डी.नजीम ने बताया कि अनुमतियों के डिजिटलीकरण और जवाबदेही को सुदृढ़ करने से राज्य ने विश्वसनीय औद्योगिक माहौल तैयार किया है।

वर्तमान में राज्य की सिंगल विंडो प्रणाली के तहत 150 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2019, एमएसएमई नीति 2023 और स्टार्टअप नीति 2022 के माध्यम से राज्य में नवाचार, निवेश और रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है।

राज्य सरकार राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल की सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध:मुख्य सचिव

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धि, हस्तशिल्प, हैंडलूम, लोक परंपराओं और पारंपरिक व्यंजनों को राष्ट्रीय पटल पर प्रस्तुत करने के उद्देश्य से आयोजित 15 दिवसीय

हिम महोत्सव का दिल्ली हाट में भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर इस सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी, हैंडलूम एवं हैंडिक्राफ्ट निगम की प्रबंध निदेशक गंधर्व राठौर सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत, उत्कृष्ट क्राफ्ट्समैनशिप, गुणवत्तापूर्ण ऊनी उत्पादों और पारंपरिक पाक कला के लिए पूरे देश में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक मजबूत बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन न केवल राज्य की सांस्कृतिक छवि को सुदृढ़ करते हैं, बल्कि स्थानीय शिल्पकारों और कारीगरों को राष्ट्रीय मंच पर अपनी कला प्रदर्शित करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। इसके साथ ही उन्हें आधुनिक बाजार की आवश्यकताओं और उपभोक्ता मांगों को समझने का मौका मिलता है।

हैंडलूम एवं हैंडिक्राफ्ट निगम की प्रबंध निदेशक गंधर्व राठौर ने बताया कि इस वर्ष महोत्सव में पारंपरिक हस्तशिल्प को आधुनिक डिजाइन, नवाचार और फ्यूज़न स्टाइल के साथ पेश किया जा रहा है, ताकि आगंतुकों को पारंपरिकता के साथ समकालीन अनुभव भी मिल सके।

इस बार हिम महोत्सव में 86 स्टॉल लगाए गए हैं। इनमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े स्वयं सहायता समूहों के स्टॉल विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित हस्तशिल्प, सजावटी सामग्री, पारंपरिक वस्त्र और स्थानीय खाद्य उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला आगंतुकों को खूब आकर्षित कर रही है।

उत्सव के दौरान प्रतिदिन लोक नृत्य, लोक संगीत और कलाकारों की लाइव परफॉर्मेंस आयोजित की जाएंगी। इस वर्ष चम्बियाली, किन्नौरी, कांगड़ी और सिरमौरी शिल्प, पारंपरिक ऊनी उत्पाद, शॉलें और विशिष्ट कलाकृतियां विशेष रूप से आकर्षण बनी हुई हैं।

हिमाचली व्यंजनों के स्टॉल भी लोगों का ध्यान खींच रहे हैं, जहां आगंतुक सिद्दू, बबरू, चना मदरा, धाम और अन्य पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। यह सांस्कृतिक महोत्सव 30 नवंबर तक प्रतिदिन दिल्ली हाट में आयोजित होगा।

चिकित्सा से संबंधित उपकरणों की खरीद त्वरित विश्वसनीय और पारदर्शी होनी चाहिए: डॉ.धनी राम शांडिल

शिमला/शैल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी

राम शांडिल ने उच्च स्तरीय खरीद समिति (एचपीपीसी) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी मशीनरी, उपकरणों और अन्य आपूर्तियों की निविदा एवं खरीद प्रक्रिया तेज, विश्वसनीय और पूर्णत: पारदर्शी होनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रदेश के हर स्वास्थ्य संस्थान में आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण उपकरण, डायग्नोस्टिक सुविधाएं और लैब सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदेश के दूर-दराज़ क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए अत्याधुनिक मशीनरी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि उपकरणों की खरीद और स्थापना का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि निजी संस्थानों या राज्य के बाहर की सेवाओं पर निर्भरता कम हो सके।

डॉ. शांडिल ने बताया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में स्वास्थ्य ढांचे के आधुनिकीकरण, मजबूती और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि स्वास्थ्य क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जरूरी चिकित्सा उपकरणों और आपूर्तियों की निर्बाध, त्वरित और पारदर्शी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत और विश्वसनीय तंत्र विकसित किया जाए।

बैठक में स्वास्थ्य सचिव एम. सुधा देवी, एचपीएमएससीएल के प्रबंध निदेशक दिव्यांशु सिंगल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय लवी मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अंतरराष्ट्रीय लवी मेले के समापन समारोह की

अध्यक्षता करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं और राज्य सरकार की हालिया पहलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रामपुर स्थित पदम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अगले शैक्षणिक सत्र से सीबीएसई पाठयक्रम लागू किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र से शिपकी ला मार्ग से भारत-तिब्बत व्यापार पुनः शुरू करने का आग्रह किया है, साथ ही इसी मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रारम्भ करने की संभावनाओं पर भी बातचीत चल रही है। मुख्यमंत्री के अनुसार सीमा पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल के चलते अब तक 70,000 से अधिक पर्यटक चीन सीमा से सटे हिमाचल की घाटियों का भ्रमण कर चुके हैं।

सुक्खू ने लवी मेले को 'भारत-तिब्बत के ऐतिहासिक व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक' बताते हुए कहा कि यह मेला सदियों से लोक परंपराओं, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और व्यापार का केंद्र रहा है।

समारोह में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 17वीं शताब्दी से आरम्भ हुआ लवी मेला अपनी मूल भावना को बनाए रखते हुए निरंतर विस्तार कर रहा है। उन्होंने बताया कि रामपुर ब्लॉक में 13 सड़कों के निर्माण के लिए 120 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

स्थानीय विधायक नंद लाल ने आपदा राहत पैकेजों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों और शिल्पकारों को प्रदर्शनी और हस्तकला श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए।

इस अवसर पर कई वरिष्ठ जनप्रतिनिधि और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे, जबकि प्रदेशभर के कलाकारों ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं।

चिट्टे के खिलाफ जनसैलाब, मुख्यमंत्री सुक्खू ने किया महा वॉकथॉन का नेतृत्व

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में मादक पदार्थ चिट्टे के खिलाफ निर्णायक जंग की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला के रिज मैदान से चौड़ा मैदान तक आयोजित विशाल चिट्टा-विरुद्ध जागरूकता वॉकथॉन का नेतृत्व करते हुए प्रदेशव्यापी जन आंदोलन का शंखनाद

'जनता की पुकार और हिमाचल की अस्मिता का युद्ध' है। उन्होंने चिट्टा तस्करों को चेताते हुए कहा कि यदि वे नहीं रुके, तो 'हिमाचल प्रदेश उन्हें नाम, निशान और नेटवर्क सहित समाप्त कर देगा।'

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों को शिक्षा के साथ-साथ 'संस्कार और सुरक्षा के किलों' के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि नई पीढ़ी नशे से दूर रहे। उन्होंने आंदोलन में महिलाओं, विशेषकर माताओं की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि मां जब जागती है तो पूरा समाज जाग जाता है और यही शक्ति चिट्टे के खिलाफ निर्णायक प्रहार करेगी।

सरकार ने मादक पदार्थों के खिलाफ तीन स्तरीय रणनीति - जागरूकता, कड़ी कारवाई और नशाग्रस्त युवाओं का पुनर्वास - को लागू किया है। प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत PIT-NDPS अधिनियम का कड़ाई से उपयोग किया जा रहा है। नए विधेयकों जोड़ा जाएगा तथा पुनर्वास बोर्ड सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।

वॉकथॉन के बाद मुख्यमंत्री ने प्रतिभागी विद्यार्थियों व युवाओं से संवाद किया और नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया। उन्होंने चिट्टे के कारण अपने बच्चों को खो चुके अभिभावकों से मुलाकात कर संवेदना भी व्यक्त की।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनी राम शांडिल, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, विधानसभा उपाध्यक्ष, विधायकगण, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग, स्वयंसेवी संस्थाएं और धार्मिक संगठन इस वॉकथॉन में उपस्थित रहे।

चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट स्पोर्टस एंड कल्चरल मीट – 2025 का शुभारम्भ

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बाल दिवस के अवसर पर रिज मैदान में आयोजित

'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट-2025' का शुभारम्भ किया। यह आयोजन पुलिस विभाग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के 29 बाल-बालिका सुखाश्रय आश्रमों के करीब 600 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। यह कार्यक्रम 16 नवंबर तक चलेगा।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि बाल दिवस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की भावना-समान अवसर और उज्ज्वल भविष्य-की याद दिलाता है, और यह खेल एवं सांस्कृतिक महोत्सव उसी आदर्श को आगे बढ़ाता है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने कानून के तहत अनाथ और बेसहारा बच्चों एवं महिलाओं के लिए व्यापक मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना लागू की है। उन्होंने घोषणा की कि इन बच्चों का दाखिला सभी जिलों के प्रमुख स्कूलों में करवाया जाएगा और इसका पूरा व्यय राज्य सरकार उठाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'बेटी पढ़ाओ' सिर्फ नारा नहीं, बल्कि उनका व्यक्तिगत मिशन है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य हर बेटी को सुरक्षा, उत्कृष्ट शिक्षा और अवसर उपलब्ध कराकर उनके भविष्य को मजबूत बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाते हैं-जीत विनम्र बनाती है और हार पुनः प्रयास करने का साहस देती है।

उन्होंने कहा कि 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट किसी प्रमाण-पत्र के मोहताज नहीं हैं, उन्होंने चुनौतियों को स्वीकार कर दिखाया है कि वे किसी से कम नहीं।' सरकार उन्हें हर आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाएगी ताकि वे अपनी प्रतिभा साबित कर सकें। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों को लैपटॉप और स्कूल बैग भी वितरित किए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने संस्थागत देखभाल में रह रहे बच्चों के आत्मविश्वास एवं नेतृत्व विकास के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।

पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत कराया। कार्यक्रम में डॉग शो, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, नुक्कड़ नाटक और रस्साकस्सी जैसी गतिविधियां विशेष आकर्षण रहीं।

प्रेस में पारदर्शिता को बढ़ावा देने से लोकतन्त्र जीवंत और जीवित रहेगा:राजेश धर्माणी

शिमला/शैल। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर राजधानी शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मीडिया की पारदर्शिता, विश्वसनीयता और तथ्य-आधारित पत्रकारिता पर जोर दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता

करते हुए तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि प्रेस लोकतंत्र की बुनियादी संस्था है और उसकी पारदर्शिता लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करती है।

राजेश धर्माणी ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के तेजी से बदलते दौर में मीडिया नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। एआई और डीप फेक जैसी तकनीकों के कारण झूठी और भ्रामक सूचनाएं तेजी से फैलती हैं, जिसका सीधा प्रभाव समाज पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि मीडिया को तथ्य-पुष्टि और जिम्मेदार रिपोर्टिंग पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार जनहित से जुड़ी कई नीतियां लागू कर रही है, और मीडिया का दायित्व है कि इन निर्णयों की सटीक जानकारी जनता तक पहुचाए।

मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान ने कहा कि मीडिया, सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य करता है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता में तथ्यों पर आधारित खबरें और विश्वसनीयता बनाए रखना आवश्यक है।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रो. शशिकांत शर्मा ने 'बढ़ती भ्रामक सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता' विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि ब्रेकिंग न्यूज की होड़ ने समाचारों की गुणवत्ता को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि कई देशों में 'स्लो न्यूज' की मुहिम शुरू हुई है, जिसका उद्देश्य सूचनाओं को सत्यापित और विस्तृत रूप में प्रस्तुत करना है। उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

हिलपोस्ट के प्रधान संपादक रवींद्र मखैक ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज की रफ्तार ने आमजन के लिए सही और गलत सूचनाओं में अंतर करना कठिन बना दिया है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को सत्यापन और मूल्यों पर आधारित पत्रकारिता को प्राथमिकता देनी चाहिए।

न्यूज-18 के कंसल्टिंग एडिटर मुकेश राजपूत ने कहा कि पत्रकारिता में सवाल पूछना आवश्यक है और जनहित से जुड़े सवालों के उत्तर अवश्य मिलने चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार पी.सी. लोहमी ने कहा कि पत्रकारिता में चरित्र और निष्पक्षता बेहद महत्वपूर्ण है, जबकि वरिष्ठ पत्रकार अश्वनी शर्मा ने खबरों में दोनों पक्षों को शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

कार्यक्रम में निदेशक सूचना एवं जन संपर्क राजीव कुमार ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और पत्रकारों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बधाई दी। समारोह में मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधि, वरिष्ठ पत्रकार और विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के विद्यार्थी उपस्थित रहे।

आपदा प्रभावित स्कूलों के पुनर्निर्माण को विशेष प्राथमिकता:रोहित ठाकुर

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान क्षतिग्रस्त हुए शैक्षणिक संस्थानों की मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों को सरकार ने तेज़ किया है। यह जानकारी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि लगभग 1411 संस्थानों में 126.73 करोड़ रुपये की क्षति का आकलन किया गया है और छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए प्रभावित स्कूलों के निर्माण कार्यों हेतु हिमुडा को धनराशि शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

ठाकुर ने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में शिक्षा क्षेत्र का तेज़ी से कायाकल्प हो रहा है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य में 94.46 करोड़ की लागत से 42 स्थानों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, पुस्तकालय और खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए 100 स्कूलों में CBSE पाठयक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। इनमें से 45 स्कूल एफिलिएट हो चुके हैं। विषय-विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति करके इन स्कूलों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के अनुरूप विकसित किया जाएगा।

मंत्री ने निर्देश दिए कि 25% से कम परिणाम वाले विद्यालयों पर विशेष ध्यान दिया जाए। अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी और लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले स्कूलों के स्टाफ की जवाबदेही तय की जाएगी।

उन्होंने उप-निदेशकों से कहा कि शैक्षणिक सत्र के दौरान नियमित समीक्षा भी अनिवार्य है।

ठाकुर ने बताया कि बीएड/डीएलएड प्रशिक्षुओं को अब उनके पैतृक क्षेत्र में ही प्रशिक्षण भेजा जाएगा तथा किसी भी स्कूल में पांच से अधिक प्रशिक्षुओं की तैनाती नहीं होगी।

स्कूल संसाधनों के बेहतर उपयोग और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उद्देश्य से शुरू की गई कॉम्पलेक्स स्कूल प्रणाली को विस्तार देने की दिशा में भी मंत्री ने निर्देश दिए। मर्ज किए गए स्कूलों के विद्यार्थियों को समीपस्थ संस्थानों में समय पर प्रवेश दिलाने और प्रधानाचार्यों द्वारा सभी संलग्न स्कूलों का नियमित निरीक्षण करने पर जोर दिया गया।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चों से दुर्व्यवहार या प्रताड़ना के मामलों में शामिल शिक्षकों पर तेज़ अनुशासनात्मक कारवाई की जाएगी।

अध्यापकों पर गैर-शैक्षणिक कार्यों का दबाव घटाने के विकल्पों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। उप-निदेशकों को 10 दिनों के भीतर इनके सरलीकरण संबंधी सुझाव देने को कहा गया है।

बैठक में स्कूलों को तंबाकू-मुक्त बनाने के लिए एनएचएम के राज्य कार्यक्रम अधिकारी डॉ. रविन्द्र कुमार ने प्रस्तुति दी।

सचिव शिक्षा राकेश कंवर, एसएसए परियोजना निदेशक राजेश शर्मा, निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली सहित विभाग व हिमुडा के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सुक्खू ने हिमाचल की 7.19 % हिस्सेदारी बहाल करने की मांग उठाई

शिमला/शैल। फरीदाबाद में आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत चंडीगढ़ की भूमि व परिसंपत्तियों में हिमाचल प्रदेश की 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी तत्काल जारी करने की मांग दोहराई। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के 2011 के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि जनसंख्या अनुपात आधार पर यह हिस्सेदारी हिमाचल का वैध अधिकार है, जो बीबीएमबी के विद्युत हिस्से पर भी लागू होता है।

मुख्यमंत्री ने बीबीएमबी से लंबित बकाया राशि शीघ्र जारी करने तथा बोर्ड में हिमाचल प्रदेश से एक स्थायी सदस्य की नियुक्ति सुनिश्चित करने की भी मांग की। उन्होंने केंद्र संचालित जलविद्युत परियोजनाओं में राज्य को 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी देने और लागत वसूल हो चुकी परियोजनाओं में इसे 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने यह मुद्दा परिषद की अगली बैठक के एजेंडे में शामिल करने की भी आवश्यकता जताई।

सुक्खू ने राज्य में 40 वर्ष पूर्ण कर चुकी जल विद्युत परियोजनाओं को हिमाचल को सौंपने की मांग उठाई। साथ ही किशाऊ और रेणुका बांध परियोजनाओं के विद्युत घटकों के लिए पूर्ण केंद्रीय वित्त पोषण और परियोजनाओं के बाद हिमाचल–उत्तराखंड को 50–50 प्रतिशत बिजली उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा।

मुख्यमंत्री ने जलवायु परिवर्तन के कारण पहाड़ी राज्यों की बढ़ती संवेदनशीलता का हवाला देते हुए आपदा प्रबंधन नियमों की पुनर्समीक्षा और पूरे उत्तरी क्षेत्र के लिए एकीकृत सतत विकास ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे राज्यों की अर्थव्यवस्था और जन–जीवन की सुरक्षा के लिए संयुक्त प्रयास अनिवार्य हैं।

राज्य की सामरिक स्थिति और पर्यटन क्षमता को रेखांकित करते हुए उन्होंने हिमाचल में हवाई नेटवर्क विस्तार की वकालत की। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार हेतु केंद्र से भूमि अधिग्रहण लागत व पूर्ण वित्त पोषण की मांग की गई। साथ ही छोटे हवाई अड्डों

व हेलीपोर्ट के विकास के लिए अलग मास्टर प्लान की भी आवश्यकता बताई।

मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों में अनुसंधान केंद्र, आइस हॉकी स्टेडियम, साहसिक खेल केंद्र जैसी सुविधाओं की स्थापना तथा स्पीति के जनजातीय क्षेत्र में राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा। शिपकी–ला से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने की राज्य की पुरानी मांग भी दोहराई गई।

नशीले पदार्थों के खिलाफ प्रदेश में चल रहे अभियान का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि चिट्टा जैसे खतरनाक पदार्थों के उन्मूलन के लिए तीन महीने का व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया है। साथ ही, POCSO अधिनियम के सख्त पालन और बच्चों के प्रति अपराधों के विरुद्ध राज्य की जीरो–टॉलरेंस नीति की जानकारी भी साझा की।

बैठक में हिमाचल–लद्दाख सीमा के सरचू व शिंकुला क्षेत्र के विवाद के शीघ्र समाधान, शिमला स्थित पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के उप कार्यालय को क्षेत्रीय कार्यालय का दर्जा देने और वन संरक्षण अधिनियम से जुड़े मामलों की शीघ्र स्वीकृति की भी मांग की गई।

मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास हेतु एक बीघा तक वन भूमि आवंटन की अनुमति देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य में निजी भूमि छोड़कर अधिकांश भूमि तकनीकी रूप से वन भूमि श्रेणी में आती है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार सीमित वित्तीय संसाधनों में भी आपदा पीड़ितों को विशेष राहत पैकेज प्रदान कर रही है, परंतु हिमाचल को पोस्ट–डिज़ास्टर नीड असेसमेंट के तहत लगभग 10,000 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1,500 करोड़ रुपये के पैकेज का इंतजार है, जिन्हें शीघ्र जारी किया जाना चाहिए।

सुक्खू ने राजस्व घाटा अनुदान में कमी के मद्देनज़र वर्ष 2023–24 तक के 9,478 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए एक विशेष टास्क फोर्स बनाने की भी मांग रखी।

बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, उप–राज्यपाल और केंद्र व प्रदेश सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

आया–हेल्पर भर्ती के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है सरकार:जयराम

शिमला/शैल। पूर्व मुख्यमंत्री

एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर आउटसोर्स भर्तियों में अनियमितताओं और युवाओं के साथ छलावा करने के गंभीर आरोप लगाये हैं। शिमला में जारी बयान में उन्होंने कहा कि अधिकारियों की मनमानी के आगे मुख्यमंत्री बेबस दिखाई दे रहे हैं और हालिया मामलों में उच्च न्यायालय की कड़ी टिप्पणियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार दूरदर्शिता के बिना कार्य कर रही है। उन्होंने दावा किया कि अधिकारी न तो मंत्रियों की सुन रहे हैं और न ही विधायकों की, जिससे प्रशासन असंतुलित होता जा रहा है।

जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार स्थायी भर्तियां बंद कर आउटसोर्स व्यवस्थाओं को बढ़ावा दे रही है, जिससे न केवल पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि युवाओं का भविष्य भी अस्थिर हो रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली मित्र, पशु मित्र और रोगी मित्र जैसी योजनाओं में चयन प्रक्रिया में खामियां हैं और इससे 'चहेतों' को लाभ पहुंचाने की कोशिश स्पष्ट दिख रही है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार द्वारा शुरू की गई 'मित्र योजना' युवाओं को कम मानदेय पर काम देने का तरीका बन गई है, जबकि मुख्यमंत्री के करीबी लोगों को बड़े लाभ मिल रहे हैं। उन्होंने प्रश्न उठाया कि जब प्रदेश में पद खाली हैं, तो युवाओं को स्थायी नौकरी देने से परहेज क्यों किया जा रहा है?

उन्होंने आया–हेल्पर भर्ती को भी विवादास्पद करार दिया। 6202 पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से की जाने वाली भर्ती को 'पूर्णतया अपारदर्शी' बताते हुए उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया के लिए कोई स्पष्ट मानदंड निर्धारित नहीं किए गए, जिससे भ्रष्टाचार और पक्षपात की आशंका बढ़ गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये नियुक्तियां पंचायत चुनावों से पहले चहेतों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जल्दबाजी में की जा रही हैं।

जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार कर्ज पर निर्भर होती जा रही है, जबकि मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर हिमाचल की बात कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि राजस्व बढ़ाने और उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति चिंताजनक होती जा रही है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विपक्ष भ्रष्टाचार, अनियमित भर्तियों और प्रशासनिक अव्यवस्था के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करता रहेगा।

खनन कारोबारी कांग्रेस नेता

.....पृष्ठ 1 का शेष

है परन्तु लोकसभा में वह अनुराग ठाकुर का समर्थक है। ज्ञान चन्द के साथ जो दूसरा व्यक्ति संजय धीमान गिरफ्तार हुआ था उसकी जमानत को लेकर अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है। जबकि वह इसी मामले में ज्ञान चन्द के साथ सह अभियुक्त है। इसमें यह भी स्मरणीय है कि जिन मामलों का जिक्र अदालत में आया वह सारे मामले पूर्व भाजपा सरकार के समय में ही दर्ज हुये और क्लोज भी हुए। कांग्रेस सरकार के समय 2023 में एक मामला ऊना के गगरेट में दर्ज हुआ और उसमें 30–11–2024 को क्लोजर रिपोर्ट भी आ गई तथा स्वीकार भी हो गयी। यह जमानत का फैसला 3–7–2025 को आया है लेकिन जांच अधिकारी और शिकायतकर्ता के खिलाफ अभी तक कोई कारवाई होना भी सामने नहीं आया है।